वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी लिखत द्वारा व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

स्पष्टीकरणः ''कुटुम्ब के सदस्य'' से व्यवस्थापक का पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पुत्रवधु अभिप्रेत है।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-122]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the instrument of settlement executed in favour of family members shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent of the market value of the property settled by such instrument subject to maximum of rupees ten thousand.

Explanation: "Family Member" means father, mother, wife, brother, sister, son, daughter, grand son, grand daughter, daughter-in-law of settler.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-122]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government